शासनादेश संख्या-1/2023/I/304886/2023/File No. 10-35002(001)/4/2022-35

प्रेषक,

समीर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
संस्थागत वित्त महानिदेशालय,
उ0प्र0, 16-विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

वित्त (संस्थागत) अनुभाग-35 लखनऊ: दिनांक: 20अप्रैल, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-65 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-091-संलग्न कार्यालय-06-संस्थागत वित्त निदेशालय", "07-जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन" एवं 08-संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय" हेतु प्रावधानित धनराशि को निवर्तन पर रखा जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च,2023 को संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-65 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-091-संलग्न कार्यालय-06-संस्थागत वित्त निदेशालय", "07-जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन" एवं 08-संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय" हेतु विभिन्न मदों में व्यय को वहन करने के लिए प्रावधानित धनराशि रू0 26,52,34,000 (रूपये रुपये छब्बीस करोड़ बावन लाख चौंतीस हजार मात्र) को अद्योलिखित विववरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/ प्रतिबन्धों

1- धनराशियों का व्यय करने में वित्त विभाग के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक17 मार्च,2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपरोक्तानुसार प्रावधानित धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डुक के नियमों तथा स्थाई आदेशों के अंतर्गत संबंधित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में व्यय किये जाने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

3- यदि किसी व्यय के लिए शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जाय, तो सन्दर्भित व्यय के लिए आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखा शीर्ष का भी उल्लेख प्रस्ताव में अंकित किया जाय।

4- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2052000910600 (संस्थागत वित्त निदेशालय)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	065	2052000910600 संस्थागत वित्त निदेशालय	01 वेतन	8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)
2	065	2052000910600 संस्थागत वित्त निदेशालय	03 मंहगाई भत्ता	3,60,00,000 (रुपये तीन करोड़ साठ लाख मात्र)
3	065	2052000910600 संस्थागत वित्त निदेशालय	04 यात्रा व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
4	065	2052000910600 संस्थागत वित्त निदेशालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5	065	2052000910600 संस्थागत वित्त निदेशालय	06 अन्य भत्ते	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
6	065	2052000910600 संस्थागत वित्त निदेशालय	07 मानदेय	40,000 (रुपये चालीस हजार मात्र)
7	065	2052000910600 संस्थागत वित्त निदेशालय	08 कार्यालय व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
8	065	2052000910600 संस्थागत वित्त निदेशालय	09 विद्युत देय	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
9	065	2052000910600 संस्थागत वित्त निदेशालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
10	065	2052000910600 संस्थागत वित्त निदेशालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
11	065	2052000910600 संस्थागत वित्त निदेशालय	13 टेलीफोन पर व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
12	065	2052000910600 संस्थागत वित्त निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
13	065	2052000910600	16	2,00,000

http://shasanadesh.up.gov.in

		संस्थागत वित्त निदेशालय	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	(रुपये दो लाख मात्र)
14	065	2052000910600 संस्थागत वित्त निदेशालय	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	24,00,000 (रुपये चौबीस लाख मात्र)
15	065	2052000910600 संस्थागत वित्त निदेशालय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
16	065	2052000910600 संस्थागत वित्त निदेशालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
17	065	2052000910600 संस्थागत वित्त निदेशालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2,15,000 (रुपये दो लाख पंद्रह हजार मात्र)
18	065	2052000910600 संस्थागत वित्त निदेशालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
19	065	2052000910600 संस्थागत वित्त निदेशालय	49 चिकित्सा व्यय	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
20	065	2052000910600 संस्थागत वित्त निदेशालय	51 वर्दी व्यय	40,000 (रुपये चालीस हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

21	065	2052000910600 संस्थागत वित्त निदेशालय	55 मकान किराया भत्ता	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
22	065	2052000910600 संस्थागत वित्त निदेशालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
	कुल			**13,39,95,000** **(रुपये तेरह करोड़ उनतालीस लाख पंचानबे हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2052000910700 (जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	01 वेतन	5,50,00,000 (रुपये पांच करोड़ पचास लाख मात्र)
2	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	02 मजदूरी	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
3	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	03 मंहगाई भत्ता	2,47,50,000 (रुपये दो करोड़ सैंतालीस लाख पचास हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	04 यात्रा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
5	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
6	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	06 अन्य भत्ते	1,25,000 (रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र)
7	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	07 मानदेय	5,000 (रुपये पांच हजार मात्र)
8	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	08 कार्यालय व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
9	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	09 विद्युत देय	84,000 (रुपये चौरासी हजार मात्र)
10	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	10 जलकर / जल प्रभार	2,000 (रुपये दो हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4,000 (रुपये चार हजार मात्र)
12	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)
13	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	13 टेलीफोन पर व्यय	84,000 (रुपये चौरासी हजार मात्र)
14	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
15	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
16	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
17	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10,40,000 (रुपये दस लाख चालीस हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

18	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
19	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	29 अनुरक्षण	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
20	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
21	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
22	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
23	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
24	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	49 चिकित्सा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	51 वर्दी व्यय	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
26	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	55 मकान किराया भत्ता	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
27	065	2052000910700 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			**9,52,79,000** **(रुपये नौ करोड़ बावन लाख उनासी हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2052000910800 (संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	065	2052000910800 संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय	01 वेतन	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
2	065	2052000910800 संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय	03 मंहगाई भत्ता	90,00,000 (रुपये नव्वे लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

3	065	2052000910800 संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय	04 यात्रा व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
4	065	2052000910800 संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
5	065	2052000910800 संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय	06 अन्य भत्ते	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
6	065	2052000910800 संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय	07 मानदेय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
7	065	2052000910800 संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय	08 कार्यालय व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
8	065	2052000910800 संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय	09 विद्युत देय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
9	065	2052000910800 संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय	10 जलकर / जल प्रभार	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10	065	2052000910800 संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
11	065	2052000910800 संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
12	065	2052000910800 संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय	13 टेलीफोन पर व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
13	065	2052000910800 संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
14	065	2052000910800 संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
15	065	2052000910800 संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
16	065	2052000910800 संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

17	065	2052000910800 संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
18	065	2052000910800 संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
19	065	2052000910800 संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय	49 चिकित्सा व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
20	065	2052000910800 संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय	51 वर्दी व्यय	40,000 (रुपये चालीस हजार मात्र)
21	065	2052000910800 संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय	55 मकान किराया भत्ता	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
22	065	2052000910800 संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
	कुल			**3,59,60,000** **(रुपये तीन करोड़ उनसठ लाख साठ हजार मात्र)**

महायोग	26,52,34,000 (रुपये छब्बीस करोड़ बावन लाख चौंतीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च,2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

समीर

विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।